निर्देश सं. 59

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

17 वाँ तल, जवाहर व्यापार भवन,
एस. टी. सी. बिल्डिंग, नई दिल्ली-110016
दिनांक: 22, फरवरी, 2022

फ.संख्या ए-110018/01/2021-CAQM/6814-6819

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 12 के तहत दिल्ली-एन.सी.आर. में वायु प्रदूषण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना- डीजल पॉवर जनरेटिंग सेट का प्रयोग कम करने हेतु निबार्ध रूप से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना ।

1. जबकि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन किया है (एतद्पश्चात आयोग के रूप में संदर्भित)।

2. जबकि, अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत आयोग को शक्तियां दी गयी हैं कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता के संरक्षण एवं सुधार के उद्देश्य से ऐसे सभी उपाय करें, निर्देश आदि जारी करें, जैसा कि वह आवश्यक या उचित समझे

3. जबकि, अधिनियम की धारा 12 (2) (v) के तहत आयोग के पास अधिकार हैं कि वह, किसी भी उद्योग, सञ्चालन या प्रक्रिया को चलाने वाले क्षेत्रों पर प्रतिबन्ध लगा सकता है जिसका क्षेत्र में वायु गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है ।

4. जबकि, अधिनियम की धारा 12(2)(xi) आयोग को अधिकार देती है कि वह किसी व्यक्ति,अधिकारी या प्राधिकारी को लिखित में निर्देश दे और ऐसे व्यक्ति ,अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

5. जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण से सम्बंधित मामले को बार-बार हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों और दिल्ली एन.सी.टी. सरकार विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य सरकारों/जी.एन.सी.टी.डी. के विभिन्न संगठनों के साथ आयोग ने उठाया है और एन.सी.आर. में वायु प्रदूषण कम करने के लिए प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर उपाय करने हेतु विभिन्न निर्देश / आदेश दिए हैं।

6. जबकि, आयोग इस बात पर प्रकाश डालता रहा है, कि अन्य बातों के अलावा , क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में गिरावट में योगदान देने वाला प्रमुख कारक डीजल जनरेटर (डी.जी.) (सेटों) का अनियंत्रित उपयोग है ।

7. जबकि, एन. सी. आर. में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के मद्देनज़र जी. आर. ए. पी. के अनुरूप पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नवम्बर, 2017 में अधिसूचित किया गया कि आपात कालीन उद्देश्यों को छोड़कर , जब भी दिल्ली में वायु गुणवत्ता “बहुत खराब” श्रेणी (ए.क्यू.ई. 300) में होती है, डी. जी. सेट के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

8. जबकि, बड़ी संख्या में उद्योगों, संघों/ और व्यक्तिगत संस्थाओं ने आयोग के समक्ष प्रतिनिधित्व किया है कि केवल नियमित बिजली आपूर्ति में रूकावट के कारण ऐसी इकाएयाँ डी. जी. सेट सञ्चालन का सहारा लेने के लिए मजबूर हो जाती हैं।

9. जबकि, उक्त इकाईयों ने आगे निवेदन किया है कि कुछ निरंतर औद्योगिक प्रक्रियाएं और उत्पादन व्यवस्थाएं भारत में इन-प्रोसेस इन्वेंटरी और अर्ध तैयार उत्पादों को उबारने के लिए और कई मामलों में विभिन्न सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी प्रणालियों / उपकरण के सञ्चालन के लिए निर्बाध बिजली की मांग करती हैं।

10. जबकि, कुछ संस्थाओं ने अभ्यावेदन किया है कि वे दूर-संचार एवं डाटासेवाओं के कार्य में लगे हुए हैं जिसके लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसके कारण डी. जी. सेटों पर अत्यधिक निर्भरता हो जाती हैं।

11. जबकि, विशेष रूप से शादियों के महीनों के दौरान डी. जी. सेट द्वारा क्षेत्र में वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और कम करना बहुत महत्वपूर्ण है।

12. जबकि, उपरोक्त विचारों के मद्देनजर, आयोग ने आपने दिनांक 09.02.2022 के निर्देश संख्या 54-57 के तेहत ग्रेडेड रेस्पोंसे एक्शन प्लान (जी. आर. ए. पी.) के तेहत लगाए गये प्रतिबंधों के दौरान डी. जी. सेट के सीमित उपयोग के लिए कठोर शर्ते लगाई हैं।

13. जबकि, उपरोक्त संदर्भित निर्देश स. 54-57 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्सेह्त्र में निबार्ध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

14. अब इसलिए डी जी सेटों से वायु प्रदुषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021की धारा 12 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिस्कोम्स (DISCOMS) के संचालन के लिए निम्नवत आदेश देता है ।

(i) बिजली की मांग का व्यापक आंकलन करें और बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय करने की पहल करें ।

तथा

(ii) एन. सी. आर. में निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करें, विशेष रूप से अक्टूबर से फरवरी की अवधि में जब क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब /बहुत खराब/ गंभीर श्रेणी में होता हैं ।

इसके अलावा यह निर्देश दिया जाता हैं कि एन. सी. टी.-दिल्ली और एन. सी. आर. राज्य सरकारें सम्बंधित बिजली वितरण कंपनियों के साथ मामले को प्रभावी ढंग से उठायेगी जिससे कि विशेषत: अक्टूबर से फरवरी के महीने के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके ।

इन निर्देशों का पालन न करने को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के प्रावधानों का उल्लंघन समझा जाएगा और बिजली वितरण कंपनियों /

अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है और पर्यावरण मुआवजा शुल्क वसूल किया जा सकता है।

हस्ता०

(अरविन्द नौटियाल)
सदस्य सचिव
दूभाष सं : 011-23701197
ई-मेल: arvind.nautiyal@gov.in

सेवा में :

1. सीईओ, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
2. सीईओ, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
3. अपर मुख्य सचिव , विद्युत्, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़।

(अरविन्द नौटियाल)
सदस्य सचिव